प्रेषक,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
इलाहाबाद।

सेवा में,

1. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, इलाहाबाद।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, इलाहाबाद।
3. समस्त अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
   सामु0/प्रा0 स्वा0 केन्द्र, इलाहाबाद।
4. मुख्य अधिशाषी अधिकारी
   छावनी परिषद–इलाहाबाद।
5. समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर निगम, इलाहाबाद।
   झूँसी, हण्डिया, मऊआइमा, फूलपुर, लालगोपालगंज, शंकरगढ़, सिरसा, मारतगंज एंव कोरांव।

पत्रांकः वी0एस0/(जन्म–मृत्यु) पंजीकरण/2015–16/ दिनांकः 11/05/2015

महोदय,

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)/महानिदेशक चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–24फ/वी0एस0/सर्कुलर–92/2015/588 लखनऊ दिनांकः 23/04/2015 जो कि मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्याः 349/2006 वाल्युण्टरी हेल्थ एसोसिएशन आफ पंजाब बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांकः 13/01/2015 को जन्म पंजीकरण से सम्बन्धित आदेश के अनुपालन में है, का अवलोकन करें।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पत्र में दिये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायें एंव प्रत्येक माह रिपोर्ट भेजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः पत्र की छायाप्रति।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
इलाहाबाद।

पत्रांकः वी0एस0/(जन्म–मृत्यु) पंजीकरण/2015–16/1036 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)/महानिदेशक चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन लखनऊ को उनके पत्र संख्या–24फ/वी0एस0/सर्कुलर–92/2015/588 लखनऊ दिनांकः 23/04/2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) जिलाधिकारी महोदय, इलाहाबाद।
3. नगर आयुक्त, नगर–निगम इलाहाबाद।
4. मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद।
5. जिला विकास अधिकारी, इलाहाबाद।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी–इलाहाबाद को इस आशय से कि संलग्नक पत्र के अनुसार कार्यवाही करने हेतु अपने अधीनस्थ रजिस्ट्रार को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
7. इलाहाबाद मेडिकल एशोसियेशन, इलाहाबाद को इस आशय से कि संलग्नक पत्र के गम्भीरता को देखते हुए अपने स्तर से समस्त प्राइवेट चिकित्सालय एंव नर्सिंग होम को निर्देश जारी करें कि जन्म–मृत्यु पंजीकरण में सहयोग प्रदान करें अन्यथा उनके पंजीकरण के सन्दर्भ में पुनर्विचार करना पड़ेगा।
8. प्राइवेट चिकित्सालय / नर्सिंग होम एशोसियेशन, इलाहाबाद को इस आशय से कि अपने स्तर से संलग्नक पत्र के अनुसार कार्यवाही करने हेतु दिशा–निर्देश जारी करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
इलाहाबाद।

अति महत्वपूर्ण/
ई0मेल द्वारा।।

प्रेषक,

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)/
महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)/
जिला अधिकारी, उ0प्र0।

पत्र संख्या: 24फ/वी0एस0/सर्कुलर–92/2015/ 566 लखनऊ: दिनांक: 23 अप्रैल, 2015

विषय : मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या: 349/2006 वॉलुण्टरी हैल्थ एसोसिएशन आफ पंजाब बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक: 13.01.2015 को जन्म पंजीकरण से सम्बन्धित आदेश के अनुपालन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण (पी0सी0पी0एन0डी0टी0अधिनियम–1994), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, जगत नारायण रोड, लखनऊ के पत्र संख्या: प.क./10–जे.डी./202(Vol.II)/2015/502, दिनांक: 21.01.2015 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या: 349/2006 वॉलुण्टरी हैल्थ एसोसिएशन आफ पंजाब बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम् न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा दिनांक: 13.01.2015 को जन्म पंजीकरण पर निम्न आदेश पारित किये गये है:–

"Quite apart from, the above it is directed that the state of U.P. shall issue a circular requiring the competant authorities as nominated by it to Register the births of children(male or female) at the time of birth so as to effectively show the progress of regress of the sex ratio. We have been compelled to issue such a direction as Mr. Gonsalves learned serior counsel appearing for the petitioner would contend with vehemence that the State of Uttar Pradesh has not taken pains to get such registeration done. If the state of Uttar Pradesh has already taken such steps in accordance with law, it shall be put on record by way of an affidavit duly sworn to by the Principal Secretary. Department of Health and, if not, the same shall be complied with as directed hereinabove.

It is directed that the sex ratio shall be maintained district-wise so that it would be appreciated in which district the ratio is not properly maintained and accordingly steps can be taken."

उपरोक्त वर्णित रिट याचिका में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उ0प्र0राज्य के लिंगीय अनुपात के आंकड़े कमेटी द्वारा सत्यापित किये गये, माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये कि "प्रदेश में होने वाले प्रत्येक जन्म का पंजीकरण करते समय लिंगीय अनुपात का बढ़ना अथवा घटना दर्शाया जाये ताकि प्रत्येक रजिस्ट्रेशन से यह तथ्य उभर कर आये कि प्रदेश में लिंगीय अनुपात बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसके अतिरिक्त जनपदवार लिंगीय अनुपात तैयार किया जाना चाहिये ताकि यह पता लग सके कि अमुक जनपद में वह लिंगीय अनुपात समुचित रूप से तैयार नहीं किया जा रहा है। तद्नुसार ऐसे जनपदों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।"

इस सम्बन्ध में कहना है कि राज्य में लिंगीय अनुपात के लगातार अव्यवस्थित अनुपात के दृष्टिगत जनमानस में जागरूकता लाये जाने की आवश्यकता है ताकि पुरूषों के सापेक्ष महिलाओं की लगातार कम हो रही संख्या पर अंकुश लगाया जा सकें। प्रायः यह तथ्य प्रकाश में आता है कि लड़कियों के जन्म का पंजीकरण नही कराया जाता है। अतः अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों/पंजीयन ईकाईयों के रजिस्ट्रारों को अपने स्तर से इस आशय के निर्देश निर्गत करें कि वह अपनी अधिकारिता में होने वाले प्रसवों का पंजीयन करते हुये लिंगीय अनुपात की सूचनाओं का संकलन/प्रेषण प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें ताकि वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके एवं उसके परिपेक्ष्य में सुधार हेतु ठोस कदम उठाये जा सकें।

अवगत कराना है कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को प्रभावी, सरल एवं नागरिको के लिये सुविधाजनक बनाने के लिये समय–समय पर भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली तथा महानिदेशालय स्तर से सर्कुलर/आदेश निर्गत किये जाते रहे है, उदाहरणार्थ पत्र संख्या: 24फ/वी0एस0/कार्यवृत्त/2014/973, दिनांक: 15.09.2014 के द्वारा भी दिनांक: 11.03.2014 को भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में निर्णीत बिन्दुओं/सुझावों से अवगत कराया गया था कि "भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2020 तक जन्म–मृत्यु पंजीकरण के शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का टार्गेट निर्धारित किया गया है, वर्तमान में नागरिक पंजीकरण का जो स्तर है वह पर्याप्त नही है।

(कृ0प0उ0)

सम्बन्धी सूचनाओं के प्रेषण की स्थिति अत्यन्त खराब है [illegible] का स्तर न्यूनतम है। नियमित सूचना का प्रेषण न करने वाले जनपदों को महानिदेशालय स्तर से [illegible] अनुस्मारक पत्रों के माध्यम से वस्तुस्थिति से अवगत भी कराया जाता है। [illegible] कारण ज्ञात कर निराकरण किया जाना आवश्यक है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि समस्त स्वास्थ्य संस्थानों में हुये जन्म और मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण सुनिश्चित करते हुये सूचना का प्रेषण जनपद स्तर से मुख्य रजिस्ट्रार कार्यालय में निर्धारित समयावधि में किया जाये।

जनपद स्तर पर अन्तर्विभागीय समन्वय समिति का गठन करते हुये समिति की बैठक प्रत्येक माह अथवा तिमाही स्तर पर आयोजित करते हुये कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण किया जाये. इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर जन्म-मृत्यु पंजीकरण मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ के गठन हेतु महानिदेशालय से पत्र संख्या 24क/वी0एस0/स्थापना/2014/388, दिनांक 16.04.2014 के द्वारा निर्देशित भी किया गया था।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यस्तरीय सूचनाओं के प्रेषण हेतु निर्धारित 53 प्रपत्रों (23 तालिका-जन्म, 21 तालिका-मृत्यु, 7 तालिका-मृत जन्म, 2 तालिका ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र रिपोर्टिंग स्तर की) को उपलब्ध कराते हुये सूचनाओं के प्रेषण हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु पंजीयन स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार परिलक्षित प्रतीत नहीं हो रहा है, जिसके अनुपालन में निर्देशित किया गया कि जनपद स्तरीय अधिकारी अपनी अधिकारिता में स्थित चिकित्सा संस्थानों का समय-समय पर निरीक्षण करें तथा जिन संस्थानों के द्वारा सूचनाओं का प्रेषण अथवा संस्थान में होने वाली घटनाओं का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है, उन्हें चिन्हित करते हुये जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1969 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जुर्माना लगाकर दण्डित करें।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 13.01.2015 तथा महानिदेशालय एवं भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली एवं जनगणना कार्य निदेशालय, उ0प्र0 के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के प्रकाश में अनुरोध है कि अपने जनपद में जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्यक्रम का व्यक्तिगत रूप से अनुश्रवण/मूल्यांकन करते हुये प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन तथा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1969 का पूर्णरूपेण क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें ताकि भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2020 तक शत-प्रतिशत पंजीकरण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त [illegible] माननीय न्यायालय में राज्य की छवि धूमिल न हो। इसके लिये सतत् प्रयास की आवश्यकता एवं आपके पूर्ण सहयोग [illegible] है। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी, भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली एवं जनगणना कार्य निदेशालय, उ0प्र0 एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकरण, (पी0सी0पी0एन0डी0टी0अधिनियम-1994), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, जगत नारायण रोड, लखनऊ को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को उनके आदेशों के अनुपालन में अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः यथोक्तानुसार।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 20/4/2015

उपमुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/
संयुक्त निदेशक (वी0एस0)।

पत्र संख्याः 24क/वी0एस0/सर्कुलर-02/2015/589-96 लखनऊः तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. उपमहारजिस्ट्रार (सी0आर0एस0), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, वी0एस0डिवीजन, वेस्ट ब्लाक-1, आर0के0पुरम, नई दिल्ली-110066.
2. सहायक महारजिस्ट्रार (सीआरएस)/संयुक्त निदेशक, जनगणना भवन, प्लाट न0-सी0सी0-1, सेक्टर-जी, अलीगंज, लखनऊ, पिन-22724.
3. अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण (पी0सी0पी0एन0डी0टी0अधिनियम-1994), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, जगत नारायण रोड, लखनऊ-226003.
4. समस्त अपर मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5. श्री विनोद कुमार सिंह, उप सचिव चिकित्सा अनुभाग-7, उ0प्र0शासन, विकास भवन, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
7. श्री वी0एस0 तोमर, संयुक्त निदेशक (परिवार कल्याण), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, जगत नारायण रोड, लखनऊ-226003
8. समस्त अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय से कि वह अपने स्तर से भी प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायें तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

(हस्ताक्षर)

उपमुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/
संयुक्त निदेशक (वी0एस0),
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।